न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन

पीठासीन अधिकारी :— ***श्री भागीरथ राम*** II, ***आर.ए.एस.***

राजस्व अपील :— **05/2021** अन्तर्गत धारा **75 RLR Act**

अपीलाण्टगण — **1.नीम्बा 2.कालू 3.दमा पि.भोमा 4.पन्ना**
5.पूनमा 6.राऊ 7.अमेदा पि.गिरधारी
8.पेम्पों पत्नि गिरधारी, जातियान जाट
निवासी पावड़ों का तला,
तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

बनाम

उतरदातागण — **1.ग्राम पंचायत धनाऊ जरिये सरपंच**
2.मोटाराम 3.जगराम 4.धीरा 5.हरखा 6.शेम्भू पि.पीरा
7.नबू पत्नि पीरा 8.जूंजा 9.प्रभू पि.खेता 10.सरूपी पत्नि खेता
11.जूंजा 12.फगलू 13.लाखा 14.गंगा पि.केसा 15.राजो पत्नि केसा
16.दुर्गा 17.पदमा 18.मेहरा पि.रामलाल 19.पुरखा पुत्र सिरामा
20.नीम्बाराम 21.अर्जुनराम पि.पूराराम 22.खेताराम 23.जयराम 24.मगाराम
पि.ताजाराम 25.नेनूदेवी पत्नि ताजाराम,
जातियान जाट, निवासी पावड़ों का तला,
तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण — अपीलाण्टगण वकील — **श्री नरेश भादू**
उतरदातागण वकील — **श्री ठाकराराम (2 से 3, 5 से 6, 8 से 25)**

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

मुकदमा नं. 05/2021

निर्णय

दिनांक :— 13.01.2022

अपीलाण्टगण द्वारा पेश अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्टगण एवं उतरदातागण स्व.खुमा के [illegible] उतरदातागण के पूर्वज खुमा की खातेदारी भूमि ग्राम धनाऊ [illegible] धनाऊ में खेत खसरा सं. 629 रकबा 63.02 बीघा, [illegible]0.12 बीघा, खसरा [illegible] रकबा 140.00 बीघा, खसरा सं. 163 रकबा 168.02 बीघा के [illegible]ये हुए थे। खुमा के [illegible]ने पर वादग्रस्त आराजी खुमा के चारों पुत्रों राजू, रामलाल, सिरामा, भोमा के नाम फौतगी का नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:02:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पारित किया गया। अपीलाण्टगण एवं उतरदातागण सं. 1 से 7 के पूर्वज भोमा के छः पुत्र पीरा, गिरधारी, नीम्बा, कालू, दमा व सालू थे। जिसमें सालू का देहान्त भोमा के जीवित रहते ही हो गया था। सालू लाऔलाद फौत हुआ था, सालू के कोई संतान नहीं थी।

भोमा के फौत होने पर हल्का पटवारी द्वारा भोमा की फौतगी का नामान्तरकरण बिना अपीलाण्टगण को सूचना दिए अपनी मनमर्जी से पारित करते हुए किसी सगराम नाम के व्यक्ति को स्व.सालू का पुत्र बताते हुए उसका नाम नामान्तरकरण में डाल दिया। उतरदाता सं. 01 द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल के ही किसी अजनबी व्यक्ति सगराम को स्व.सालू का पुत्र मानते हुए नामान्तरकरण सं. 390 पारित कर दिया जबकि उतरदाता सं. 01 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था।

सालू के फौत होने पर अपीलाण्टगण व उतरदाता सं. 2 से 7 उसके विधिक वारिशान थे, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा जानबूझकर उक्त तथ्यों को छिपाते हुए स्व.सालू के विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 390 ग्राम पंचायत धनाऊ से मिलकर सगराम नाम के किसी अज्ञात व्यक्ति के नाम से खुलवाया तथा उतरदाता सं. 01 द्वारा ग्राम पंचायत धनाऊ की आम सभा बुलवाऐ बिना ही उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करा दिया । जिससे इस नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अपीलाधीन आराजी में स्व.भोमा के फौत होने पर उसके पुत्र स्व. सालू के वारिसान के रूप में सगराम का नाम अंकित हो गया। जिस समय अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक हुआ उस समय अपीलाण्टगण अपने पिता व दादा स्व.भोमा की मृत्यू से सदमे थे और अपने अधिकारों की जानकारी नहीं रख पाये।

अभी अर्सा 01 माह पूर्व उक्त वादग्रस्त भूमि को विभाजित कर अपीलाण्टगण का अपना अपना हिस्सा पृथक कराने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उसके द्वारा बताया गया कि अपीलाण्टगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि में अपना जितना हिस्सा बताया जा रहा है, उतना हिस्सा वादग्रस्त भूमि में नहीं है। वादग्रस्त भूमि में स्व.सालू के वारिसान के रूप में सगराम का नाम दर्ज है इसलिए स्व.सालू के हिस्से की भूमि आपके नाम से खातेदारी में दर्ज नहीं होगी।

तब नामान्तरकरण सं. 390 पर पारित उतरदाता सं. 01 के आदेश के विरूद्ध अपील करना आवश्यक हो गया फलतः दिनांक 05 [illegible] को अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तथा अपील माननीय न्यायालय में पेश की।

अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण सं. 390 पर पारित उतरदाता सं. 01 का आदेश निरस्त कर मृतक सालू के विधिक वारिशान के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:02:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

अपीलाण्टगण एवं उतरदाता सं. 2 से 7 के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

अपीलाण्टगण की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उतरदातागण को जरिये नोटिस तलब किया गया । उतरदाता सं. 2 से 3, 5 से 6, 8 से 25 की ओर से अधिवक्ता श्री ठाकराराम चौधरी ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया। जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्टगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर पुनः नामान्तरकरण अपीलाण्टगण एवं उतरदाता सं. 2 से 7 के पक्ष में पारित किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है। उतरदाता सं. 1, 4 व 7 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किये।

अपीलाण्टगण की ओर से साक्ष्य में पीडब्ल्यू 01 अपीलाण्ट सं. 01 नीम्बा पुत्र भोमा, पीब्ल्यू 02 खेराजराम पुत्र चीमाराम तथा पीडब्ल्यू 03 प्रहलादराम पुत्र अमराराम के बयान कलमबद्ध करवाये गये। उतरदाता सं. 01, 04 व 07 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलाण्टगण के अधिवक्ता ने अपील में पेश तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उतरदाता सं. 01 ने नामान्तरकरण सं. 390 को पारित करने में भारी विधिक भूल की है, अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए स्वैच्छाचारिता से आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश पारित करते समय स्व.भोमा व सालू के विधिक वारिशान की जांच न करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकुल है। विधि का यह सारभूत सिद्धान्त है कि एक भूमिधारी के लाऔलाद फौत होने पर उसकी खातेदारी जोत उसकी विधवा तथा उसकी पत्नि नहीं होने पर उसके भाईयों पर धारित होती है , परन्तु उतरदाता सं. 01 ने विधि के इस सिद्धान्त की स्वैच्छाचारिता से अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश में स्व.सालू के विधिक वारिश के रूप में सगराम नाम के अज्ञात व्यक्ति के पक्ष में तस्दीक किया और इस समस्त आधारों पर यह भली प्रकार से साबित है कि उतरदाता सं. 01 का अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण सं. 390 विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकण सं. 390 मौजा धनाऊ (वर्तमान में पावड़ों का तला) पर पारित उतरदाता सं. 01 का आदेश निरस्त कर [illegible] सालू के विधिक वारिशानों के रूप में अपीलाण्टगण व उतरदाता सं. 2 से 7 के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत कराने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:02:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

बहस में उतरदाता सं. 2 से 3, 5 से 6, 8 से 25 के वकील का कथन है कि अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण सं. 390 को निरस्त कर पुनः अपीलाण्टगण एवं उतरदाता सं. 2 से 7 के पक्ष में पारित किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलाण्टगण एवं उतरदातागण स्व.खुमा के वंशज है। खुमा के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी में खुमा के चारों पुत्रों राजू, रामलाल, सिरामा, भोमा के नाम फौतगी का नामान्तरकरण पारित किया गया। अपीलाण्टगण एवं उतरदातागण सं. 1 से 7 के पूर्वज भोमा के छः पुत्र पीरा, गिरधारी, नीम्बा, कालू, दमा व सालू थे। जिसमें सालू का देहान्त भोमा के जीवित रहते ही हो गया था। सालू लाऔलाद फौत हुआ था, सालू के कोई संतान नहीं थी। भोमा के फौत होने पर हल्का पटवारी द्वारा भोमा की फौतगी का नामान्तरकरण बिना अपीलाण्टगण को सूचना दिए अपनी मनमर्जी से पारित करते हुए किसी सगराम नाम के व्यक्ति को स्व.सालू का पुत्र बताते हुए उसका नाम नामान्तरकरण में डाल दिया। उतरदाता सं. 01 द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल के ही किसी अजनबी व्यक्ति सगराम को स्व.सालू का पुत्र मानते हुए नामान्तरकरण सं. 390 पारित कर दिया जबकि उतरदाता सं. 01 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था।

इस प्रकार अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण सं. 390 मौजा धनाऊ उतरदाता सं. 01 द्वारा पारित करने में भारी विधिक भूल की गई, स्व.भोमा व स्व.सालू के विधिक वारीशानों की जांच न करना प्राकृति न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। इस प्रकार न्यायालय के मतानुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 390 विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः न्यायाहित में अपीलाण्टगण की अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act की स्वीकार की जाकर उतरदाता सं. 01 द्वारा **मौजा धनाऊ के संबंध में पारित** नामान्तरकरण सं. 390 निरस्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मृतक सालू के विधिक वारिसानों की जांच कर पुनः नये सिरे से नामान्तकरण पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:02:45 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम ।।)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन